न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 16/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/00017)

1. नत्थू खा पुत्र श्री जस्सू खां जाति कायमखानी (मुसलमान) निवासी वार्ड नं. 6 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (मृतक)

1/1 महमुदा बानो पत्नी नत्थू खां
1/2 नुर बानू पुत्री नत्थू खां
1/3 बिसमिला पुत्री नत्थू खां
1/4 रजिया पुत्री नत्थू खां
1/5 ताज बानो पुत्री नत्थू खां
1/6 समशेर पुत्र नत्थू खां
1/7 याकूब पुत्र नत्थू खां
1/8 असलम खान पुत्र नत्थू खां

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बरजा देवी पत्नी श्री रतनलाल
2. कमल कुमार
3. मांगीलाल
4. मोहनलाल
5. धनराज
6. विधा देवी
7. कमला
8. धन्नी देवी
9. प्रेम देवी

पिसरान रतनलाल जाति ओसवाल (माहाजन) निवासीगण वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

10. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, भादरा

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री दिनेश गहलोत – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3, 4
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 02.08.2024

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भादरा, प्रकरण संख्या 05/12 के निर्णय दिनांक 07.07.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट बरजा देवी वगैरह ने उपखण्ड अधिकारी भादरा में भू राजस्व अधिनियम 1956

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर चक 6 बीएचडी के मु. नं. 57 के कि. नं. 23 से 25 प्रत्येक किला में जो 0.025 है. गै. मु. रास्ता कुल 0.0750 है. गै. मु. रास्ता दर्ज है उसे गै.मु. रास्ता की बजाय नहरी कृषि भूमि रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश देने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी भादरा ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 6 बीएचडी के मु. नं. 57 के कि. नं. 23 से 25 प्रत्येक किला में जो 0.025 है. गै. मु. रास्ता कुल 0.075 है. गैरमुमकिन रास्ता कलमजन कर भूमि नहरी खातेदारी प्रार्थीयागण के नाम दर्ज करन के आदेश दिये । उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2016 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। 2, 5, 6, 7, 8, 9, को जरिये नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि चक 7 बी.एच.डी. के मुरबा नं. 9 में 2.53 हैक्टयर तथा मुरबा नं. 10 में 3.79 हैक्टयर कुल 6.32 हेक्टयर स्थित चली आ रही है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट की भूमि चक 6 बी.एच.डी. कें मुरबा नं. 57 के किला नं. 3 ता 8, 12 ता 19 व 23 ता 25 की कुल 4.17 हैक्टयर स्थित चली आ रही है । अपीलान्ट का रकबा चक नं. 7 बी.एच.डी. में वाके है जिसके उतर मे पूर्व से परिचम मे आम रास्ता 0.0250 हैक्टयर जिसे होकर अपीलान्ट अपने रकबा मे दाखिल होता है। चक 6 बी.एच.डी. के मुरबा नं. 57 से सड़क गुजरती है जो किला नं. 23 ता 25 से होकर जाती है जो 0.01260 हैक्टयर की चौड़ाई में प्रत्येक किला में गुजरती है उक्त सड़क के बीच मे रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 की कुछ भूमि शेष रह सकती है जिसे उसने आज तक कभी काश्त नही की है तथा अपीलान्ट के रकबा मे जाने के लिए चक नं. 6 बी.एच.डी. के मुरबा नं. 57 के किला नं. 23, 24, 25 से ही 0.0250 हैक्टयर का रास्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सदामत से मंजूरशुदा है जो केवल एक मात्र रास्ता अपीलान्ट के खेत मे दाखिल होने का है। भू– माफिया गिरोह की नजरे उक्त रास्ता की भूमि पर पिछले कुछ सालो से टिकी हुई है जो इस रास्ता की भूमि को किसी ना किसी प्रकार से कब्जा करना चाहते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आपस मे मिली भगत करके अधीनस्थ न्यायालय में दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गैर मुमकिन रास्ता जो सदामत से चला आ रहा है को हटा कर अपने नाम से खातेदारी अंकित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलान्ट को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया और एक तरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जो विधि विरूद्व है। कानूनन दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र केवल लिपिकिय त्रुटि को दुरस्त किये जाने बाबत है परन्तु इस मामले में कोई लिपिकिय त्रुटि नही हुई और ना ही रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में लिपिकिय त्रुटि का अंकन किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 136 की परिधी मे नही आता है। पुराने चले आ रहे गैर मुमकिन रास्तो को हटाने का अधिकार तथा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 व 14 तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार कर तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2016 को निरस्त फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3, 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट की अपील मैन्टेनेबल नही है। अपीलान्ट इस न्यायालय में अपील अपीलाधीन अदेश के विरूद्व अपील पेश नही कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा जैरकार कार्यवाही सैक्शन 136 मे पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सी.पी.सी के तहत पेश किया था जो दिनांक 14.05.2012 को पेश किया था। उपखण्ड अधिकारी भादरा ने दोनो पक्षो को सुनकर अपीलान्ट को हितबद्व पक्षकार ना मानते हुए दिनांक 14.06.2012 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसके बाद उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश जो दिनांक 06.02.2014 को खारिज कर दी इसके बाद राजस्व मण्डल में रिव्यू पेश किया जो दिनांक 16.01.2015 को खारिज कर दिया। अतः अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील पेश नही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर सकता है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर शुदा नही है। सड़क 80 फिट चल रही है तो पास में रास्ते की जरूरत नही है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 में दुरूस्ती करने का अधिकार है। इसके साथ अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर पेश हुई है. अपीलान्ट को मियाद पर छूट नही दी जा सकती है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2015 पृष्ठ 119, RRD 2008 पृष्ठ 225, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट के मुरबा के उतर मे पूर्व से पश्चिम मे जो आम रास्ता राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन चला आ रहा है जिसमे अपने खेत में आवागमन करता है। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी भादरा के निर्णय दिनांक 07.07.2016 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 12.02.2018 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 व 14 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट ग्रामीण व अनपढ व्यक्ति है जिसको कानून का ज्ञान नही होने के कारण उक्त अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे अपील प्रस्तुत कर दी गई जिसका निर्णय दिनांक 18.01.2018 को होने पर संक्षम न्यायालय, न्यायालय हाजा में पेश की गई। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 व 14 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पटवार हल्का सिकरोडी के चक 6 बी.एच.डी. के मु. नं. 57 में गै. मु. रास्ते के समानान्तर सड़क बन जाने के कारण गै.मु. रास्ते का उपयोग व इस पर आवागमन बद होना पाया है। तहसीलदार (भू.अ.) भादरा की जाच

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रिपोर्ट दिनांक 09.04.2012 अनुसार गै. मु. रास्ते के समानान्तर सड़क बन जाने के कारण रास्ता चालू नही है, व रास्ते का कोई उपयोग नही हो रहा है। खातेदार काश्तकार के खेत में समान्तर गै. मु. रास्ता व गै. मु. सड़क की रिकार्ड मे प्रविष्टि उचित नही ठहराई जा सकती है। अपीलान्ट अगर अपने खातेदारी खेत हेतु रास्ता चाहता है तो उसे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चाराजोही की जानी चाहिए।

उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2016 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2016 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर